संपादकीय

फसलों के अवशे-ा की व्यवस्था

फसलों के अवशे-ा (खूँटी, पाली) को जलाने से रोकने का अर्थ है कि किसानों को व्यवहारिक / आदतन परिवर्तन करने के लिऐ मनाना।

फसलों के अवशे-ा को जलाने से पर्यावरण की हानि और मानव स्वास्थ्य के लिऐ खतरा होता है। इसलिऐ इस संकट के समाधान के लिऐ केन्द्रीय सरकार की नीति का आंकलन करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किंतु इस प्रकार का मूल्यांकन करना भी अनिवार्य है। केन्द्र सरकार ने उन राज्यों को रू. 1,050 करोड आबंटित किऐ हैं, जिनमें फसलों के अवशे-ा को जलाने से प्रदू-ाण होता है। फसलों के अवशे-ा की उचित व्यवस्था निर्धारित करने हेतु कृ-ि के एक ऐसे तंत्र को बढावा देने के लिऐ कृ-ि एवम् किसान कल्याण मंत्रालय ने एक योजना की भी घो-ाणा की है।

धान की प्रत्येक एकड फसल से लगभग 2 – 3 मैर्टिक टन अवशे-ा उत्पन्न होते हैं, जिनकी लगभग 3 सप्ताह के अंदर व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। ऐसा न होने पर अगली फसल उगाने से पहले किसानों को इन अवशे-ों को जलाना पडता है। वर्तमान में अवशे-ों के निपटान के लिऐ सबसे अधिक सस्ती कारगर और लाभकारी युक्ति है कि एक हैप्पी सीडर – एक जीरो टील बुआई मशीन का प्रयोग करना। आज भारत में लगभग 2,000 हैप्पी सीडर का उपयोग किया जा रहा है। प्रस्तावित मशीन के निर्माता का लक्ष्य है कि इनकी संख्या 2 व-र् में बढाकर 26,000 कर दी जाऐ। यह बहुत बडा कार्य है। इसके लिऐ हमारे पास कुशल कार्मिकों की कमी है और इसके प्रयोग के लिऐ हमें उच्च क्षमता वाले ट्रैक्टरों की भी आवश्यकता होगी।

जुलाई में धान की बुआई से पहले खेतों को समतल करना होता है, केवल तब ही एक हैप्पी सीडर आने वाले नवंबर में गेहूं की बुआई कर सकता है। धान की फसल को अंतिम बार पानी देने का समय भी धान की कटाई की तिथि के अनुसार होता है, यह समय गेहूं की बुआई के साथ आ सकता है।

किंतु सबसे पहले हमें किसानों को भरोसा देना होगा की यदि वे एक हैप्पी सीडर का उपयोग करते हैं तो उनकी फसलों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्हें यह दिखाना होगा कि एक हैप्पी सीडर के साथ गेहूं की फसल उगाई जा सकती है। राज्यों ने इस अति महत्वपूर्ण पहले कदम की और कोई पहल नहीं की है, यदि की भी है तो बहुत कम संख्या में। गेहूं की कटाई आरंभ हो चुकी है, इस कारण, इस व-र् हम यह अवसर खो चुके हैं।

सबसे बडा जोखिम है कि यदि किसानों ने जीरो टीलर का उपयोग किया और उनका उत्पादन कम हुआ तो वह फसलों के अवशे-ों को जलाना ुरू कर देंगे और अगली पीडी तक इसी पद्धति को अपनाऐंगे। सबसे बडा प्रश्न है कि नवंबर आने दिया जाऐ और यह पता चलेगा कि इस योजना के ुरू होने से अवशे-ों को जलाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है या नहीं। बनाऐ गऐ दिशा निर्देशों पर अभी भी विचार और टिप्पणीयां मांगी जा रही हैं। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह योजना असफल हो जाऐगी और दिल्ली में बैठे नौकरशाहों को राज्य सरकारों को दो-ा देने का अवसर मिल जाऐगा कि योजना को गलत ढंग से लागू किया। किंतु वास्तव में इस स्थिति में राज्य इन निधियों का कुशलता पूर्वक उपयोग करने के लिए तैयार भी नहीं है।

इस योजना का अध्ययन करने के पश्चात यह प्रतित होता है कि इसे कहीं से कॉपी करके किसी दूसरी जगह पैस्ट या लागू किया जा रहा है। कृ-ि मशीनरी की उप-प्रक्रिया योजना जिसके अंतर्गत जनजाति लोगों के लिऐ 8 प्रतिशत आबंटित करने का प्रावधान है, यह तर्कसंगत नहीं है कि उन राज्यों में जनजातियों के लिऐ निधियां देना जिनमें जनजाति संख्या है ही नहीं। इस नीधि का उपयोग 2 व-र् में करने की ार्त होती है अन्यथा उस व-र् के लिऐ यह समाप्त हो जाती है, जिस व-र् में इसका उपयोग नहीं किया गया। नीधियों का उचित उपयोग सुनिशचित करने के लिऐ इस योजना की अवधि 3 व-र् होनी चाहिऐ। पहले व-र् में 20 प्रतिशत निधि और अगले 2 व-ों में प्रत्येक व-र् 40-40 प्रतिशत निधि आबंटित की जा सकती है।

राज्यों में परिवर्तन लाने में समय लगेगा। इस योजना को देखने वाली 2 उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली समितियों में राज्यों से एक भी प्रतिनिधि नहीं है। यह तर्कसंगत है कि पंजाब से एक प्रतिनिधि को अवश्य ामिल किया जाऐ, क्योंकि देश में कुल धान के अवशे-ों को जलाने की दो तिहाई मात्रा पंजाब राज्य में है। धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच केवल 3 सप्ताह का समय होता है। अतः इस योजना को तेजी से लागू करने के लिऐ समिति में राज्य के एक प्रतिनिधि को ामिल करना अतिआवश्यक है। सभी जिला स्तरीय समितियों में एक जानकार स्थानिय जीरो टील किसान को भी ामिल करना चाहिऐ।

यह भी सत्य है कि किसान फसलों के अवशे-ा को जला रहे हैं, क्योंकि रा-ट्रीय कृ-ि अनुसंधान पद्धति ने, इसकी स्थापना से, किसानों को परामर्श दिया है कि बुआई करने से पहले खेतों को साफ करे (जैविक तत्वों को हटाने सहित)। नई जीरो टील मशीनों पर कार्य करने का वास्तविक अनुभव बहुत कम लोगों को है। लाखों किसानों तक के.वी.के. की पहुंच की क्षमता बहुत कम है। इन केन्द्रीय सरकार से फंड लेने वाली संस्थाओं को राज्य द्वारा नियुक्त नोडल एर्जेसियों के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिऐ।

इस योजा में सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के लिऐ रू. 100 करोड का प्रावधान है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित इस अभियान में किसान टी.वी. अथवा समाचार पत्रों जैसे मीडिया के उपयोग

को निर्धारति किया गया है। किंतु अमिताभ बच्चन अथवा देश के किसी अन्य हस्ती की सलाह पर किसान अपने कार्यों को नहीं बदलेंगे। प्रचार और सूचना देने के लिऐ अच्छी गुणवत्ता के वहॉटस्ऐप विडियो और सामग्री निशुल्क उपलब्ध है। एक बेहतर विकल्प यह होगा की एक किसानों के नेतृत्व में व्यक्ति से व्यक्ति तक पहुंचने के कार्यक्रम पर 6 महीने के लिऐ रू. 5,000 का खर्च किया जाऐ। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षित गांव स्तरीय वर्कर की सेवाओं का 2 व-र् तक उपयोग किया जाऐ।

हैप्पी सीडर के नियमित उपयोग से प्रति एकड, प्रति व-र् एक बोरी के दो-तिहाई भाग में यूरिया नाईट्रोजन की मात्रा का कम उपयोग होगा। केन्द्र सरकार द्वारा यूरिया के लिऐ दी जाने वाली निधि में रू. 500 प्रति एकड वार्-िक दर से बचत भी होगी। परिवर्तन करने के लिऐ प्रेरित करने हेतु उन किसानों को 5 व-र् के लिऐ अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाऐ जो वास्तविक रूप से फसलों के अवशे-ा को जलाना बंद कर दें, इससे राजस्व पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं आऐगी। प्रमुख चुनौती यह है कि नीति निर्माताओं को यह समझाया जाऐ कि मशीनरी पर आर्थिक सहायता देने से अधिक वायु प्रदू-ाण के प्रति लोगों को रो-ा को कम करने की आवश्यकता तो है, लेकिन उन किसानों को भी यह समझाने और मनाने की अत्यंत आवश्यकता है कि वे अपना व्यवहारिक और आदतन परंपराओं को बदलें।

ृासन (संचालन) और कृ-ि वृद्धि – संस्थाओं, मूलभूत सुविधाओं और मंडियों को सशक्त करना

'ढांचागत सुधार और संचालन की रूपरेखा' के संबंध में किसानों की आय दोगुनी करने पर कृ-ि एवम् किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट, खंड ग्ग् में संस्थाओं, मूलभूत सुविधाों और मंडियों को सशक्त करने पर ध्यान दिया गया है, जो कृ-ि वृद्धि को संचलित करती हैं। जनवरी, 2018 में जारी कृ-ि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की किसानों की आय दोगुनी करने पर समिति द्वारा तैयार दस्तावेज में किसानों की दशा पर कुछ स्प-ट बातें कही गई हैं। वास्तव में इस रिपोर्ट में समस्याओं का समाधान नहीं बताया गया है, बल्कि समस्याओं को उजागर करके कुछ उपाय सुझाऐ गऐ हैं।

किसानों की आय दोगुनी करने की समिति के अध्यक्ष श्री अशोक दलवाई का कहना है कि, संपूर्ण रिपोर्ट में 14 खंड हैं और उत्पादन के बाद किऐ जाने वाले हस्तक्षेपों और उपायों को ृामिल किया गया है, जैसे कृ-ि लौजिस्टिक, खंड 3 और कृ-ि विपणन, खंड 4 एवम् इसके साथ उत्पादन संबंधी स्थाई अंक, खंड 5 और 6। अन्य सभी खंडों में किसानों को स्रोत्र और तकनीकी एवम् ज्ञान उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है, तथा विस्तार कार्य एवम् आईसीटी खंड 11 जिनके लिऐ विशे-ा तर्क प्रस्तुत किऐ गऐ हैं।

प्रमुख रूप से रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है किः

- देश के समाज में किसानों का एक विशि-ट बड़ा व्यवसायिक वर्ग है।
- देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिऐ किसान अनाज और गैर अनाज जिंसों का उत्पादन कर रहे हैं।
- वे अपनी आजीविका के लिऐ खेती करते हैं और स्वनियोजित हैं तथा सरकार को यह राहत पहुंचाते हैं कि एक बडी जनसंख्या के रोजगार के विकल्प के रूप में वे खेती करते हैं।
- किंतु, कृ-ि, एक जोखिम भरी जैविक प्रक्रिया है और ऐसा व्यवसाय है जिसमें पूरा जोखिम ही जोखिम है।

इस रिपोर्ट में कृ-ि और भारत के 141 मिलियन हैक्टेयर के ुद्ध बुआई क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 55 प्रतिशत भाग पर अनाज उगाया जाता है। पिछले कई दिशकों से कृ-ि विविधता के कारण अब बागवानी का भाग 16 प्रतिशत और 512 मिलियन से अधिक पशु पालन करने वालों की संख्या है।

आर्थिक सूचक में यह बताया गया है कि कृ-ि के पिछे मानव पहलू अर्थात किसान की आय में वृद्धि न तो न्याय संगत है और न ही समतावादि दिखाई पडती है। इस कारण किसान अधिक उत्पादन और उत्पादकता के बाद भी लगातार परेशानियों से घिरे रहते हैं। इसिलिऐ किसान सरकारी खरीद और पर्याप्त लाभ की मांग कर रहे हैं।

इस सोच को सच करने के लिऐ विशे-ाज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि किसानों की आय बढाने के लिऐ उन्नत मंडियों का विस्तार किया जाऐ। सकारात्मक पहलू यह है कि आज भारत अनाज के मामले में न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि एक ुद्ध निर्यात्क देश भी है जो विश्व में 7 वें स्थान पर है। भारत अनाज (गेहूं और चावल), दालों, फल, सब्जियों, दुध, मीट और समुद्री मछली में विश्व के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। किंतु अनाज के भंडार में यह कमी देखने को मिलती है की सभी प्रकार का अनाज मनु-य के पौ-ाक तत्वों को पूरा नहीं करता है, जो कि देश की जनसंख्या के लिऐ एक अति महत्वपूर्ण तत्व है।

अधिकत्म किसानों की दशा कई अन्य पैसा कमाने वाले स्वतंत्र व्यक्तियों से बद्त्तर है। देश का सबसे बडा उद्योग क्षेत्र कृ-ि है और लोग इसे तब ही अपनाऐ रखेंगे जब इसमें नियमित रूप से लाभ मिलता रहे। यह देश की बचत और निवेश के लिऐ अति आवश्यक है, क्योंकि वही उद्योग सफल रहता है जिसमें कुछ लाभ मिलता रहे। किंतु लाभ कमाने वाले किसानों की संख्या बहुत कम और चिंताजनक है।

जुलाई, 2012 से जून, 2013 के बीच किसान परिवार की औसत आय केवल रू. 64.26/- थी, जबकि उनका औसत न्यूनतम मासिक खर्चा रू. 6,223/- था। सरकारी निर्धन रेखा से नीचे किसानों का प्रतिशत 22.50 है।

इस रिपोर्ट में स्प-ट किया गया है कि कृ-ि आर्थिक पद्धति किसी भी अच्छे परिवर्तन के लिऐ ढांचागत कमजोरियों को हटाना ही होगा। इन कमियों में संचालन सीमाऐं, निति नियंत्रण एवम् अप्रत्याशित परिवर्तन के समक्ष आधारभूत बाधाऐं और जलवायु परिवर्तन से पडने वाला प्रभाव। इन सभी का एक साथ समाधान करना होगा, न की एक-एक का। हमारा लक्ष्य उत्पादकता श्रेणी में परिवर्तन उन्नत स्रोतों का कुशल उपयोग और किसानों की उपजों का लाभकारी मूल्य देना होना चाहिऐ। किसानों की आय दोगुनी करने के लिऐ मूलभूत कमियों और समस्याओं का समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मूल ढांचागत मुद्दों में खंडों में भूमि, और अलग-अलग खेत, किसान की परिभा-ाा - कई निवारण, अनियंत्रित विभिधताऐं - उत्पादन जोखिम और अनिश्चित बाजार, अनियंत्रित पद्धिति, कृ-ि कारोबार

करने में कठिनाई, कृ-ि नितियां - आय वृद्धि की असमानता, ढांचागत बाधाऐं, बाजार वृद्धि की सीमित्ता और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से भारतीय कृ-ि क्षेत्र घिरा पडा है।

समिति द्वारा सुझाई गई रणनीतियों में 4 क्षेत्रों में कमियों पर चिंता व्यक्त की गई है। उत्पादन में स्थिरता, किसानों के उत्पादन की खरीद, विस्तार सेवाओं को मजबूत करना, कृ-ि क्षेत्र को एक उद्योग क्षेत्र मानना और इसे वही दर्जा देना जो किसी अन्य उद्योग को दिया जाता है, इत्यादि ामिल है। इनका समाधान अत्यंत आवश्यक है।

रिपोर्ट में भूमि संबंधी मुद्दों को उजागर किया गया है, क्योंकि भूमि किसान की मुख्य संपत्ति होती है और खेती के लिऐ मूल साधन है, किंतु खेतों का आकार कम होकर बहुत छोटा हो चुका है, जिस कारण कृ-ि लाभदायक नहीं रह गई, और जौखिम भरा कारोबार बन चुका है। इसके लिऐ लैंड पूलिंग करने के लिऐ आदर्श भूमि पट्टा अधिनियम 2016 के कानूनों के द्वारा लागू किया जा सकता है। यह अधिनियम भूमि के मालिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और किराऐ पर खेती करने वाले, फसल बंटाई करने वाले किसानों को खेती करने के लिऐ सरकारी सहायता भी प्रदान करता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कृ-ि आय का अनुपात भूमि धारण करने के आकार से सीधा संबंध रखता है (वर्गीकरण जैसे मझौले और छोटे, मध्यम श्रेणी और अर्ध मध्यम श्रेणी तथा बडे किसान)। सिंचाई से आय का अनुपात 36.5 प्रतिशत (मझौले और छोटे) से बढकर 70.8 प्रतिशत (मध्यम और अर्ध मध्यम) तथा 85.5 प्रतिशत (बडे) किसान। पशुधन से आय का अनुपात 14.8 प्रतिशत (मझैले और छोटे), 11.5 प्रतिशत मध्यम और अर्ध मध्यम किसान तथा बडे किसान का 6.9 प्रतिशत तक कम हो चुका है। मजदूरी और वेतन से प्राप्त आय का अनुपात भी 37.5 प्रतिशत (मझौले और छोटे), 13 प्रतिशत (मध्यम और अर्ध मध्यम) तथा बडे के लिऐ 3.2 प्रतिशत तक कम हो चुका है। गैर कृ-ि व्यवसाय से प्राप्त आय का अनुपात कम होकर 7.2 प्रतिशत (मझौले और छोटे), 4.8 प्रतिशत (मध्यम और अर्ध मध्यम) और बडे के लिऐ 4.4 प्रतिशत रह गया है।

समिति यह भी चाहती है कि किसान उत्पादक संघों और किसान उत्पादक कंपनियों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर करे। इन कंपनियों को पूल्ड भूमि पर खेती करने में महत्व दिया जाऐ और संचालन कार्यों में संबंधित सहायक आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने का कार्य दिया जाऐ। इसके साथ ही भूमि चिह्नित करने सहित भूमि के रिकॉर्ड का अंकरूपण, स्थान के आधार पर भूमि के लेनदेन का वास्तविक ऑनलाईन पंजीकरण और ऐसे ही भूमि के मालिकों का संपूर्ण और अद्यतन रिकॉर्ड भी रखा जाऐ।

उन किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाऐ जिनके नाम पर भूमि के दस्तावेज हैं। इसका कारण है कि अधिकतम किसान ऐसे हैं जो किराऐदार के रूप में भूमि पर खेती, फसल की बंटाई

पर खेती और भूमि को किराऐ पर देकर खेती करते हैं, जिस कारण उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। समिति का सुझाव है कि, एक किसान की परिभा-ा को विस्तारित किया जाऐ ताकि वे भी किसानों से मिलने वाली आर्थिक सहायता और लाभ का उपयोग कर सकें। इसका अर्थ है कि ऐसी नीति तैयार की जाऐ की भूमि का वास्तविक मालिक और उस पर कोई भी खेती करने वाला, दोनों के हित सुरक्षित रह सकें।

एक अनुकूल वेब-पोर्टल तैयार करने का सुझाव दिया गया है, ताकि इच्छुक और अलग-अलग किसान अपने किसान होने की वास्तविक स्थिति को अपलोड कर सकें और आवश्यक होने पर इसे अपडेट भी कर सकें।

कृ-ि क्षेत्र में प्रकृति और उत्पादन जोखिम के साथ-साथ बाजार की अनिश्चिता की प्रमुख भूमिका है। मूल्य और मांग संबंधी सरकारी पूर्व सूचना से किसानों को लाभ मिल सकता है। रिपोर्ट में सुझाव है कि विपणन और निरिक्षण निदेशालय को मंडियों की सूचना एवम् मूल्य और मांग का पूर्व अनुमान लगाने का दायित्व सौंपा जाऐ।

ऐसा करने से कृ-ि मूल्य पद्धति अधिक समेकित, एकीकृत एवम् पारदर्शी बन सकती है तथा फस्लोपरांत प्रबंधन की जानकारी दी जाऐ, ताकि वे अपनी फसल का लिया गया ऋण चुका सकें अथवा उसके बदले में ऋण ले सकें।

किंतु जहां भी आवश्यक हो मूल्यों के उतार चढाव को सही करने के लिऐ लक्ष्य निर्धारित करके आयात को नियंत्रित किया जाऐ। विशे-ा जिंस का मूल्य अथवा उत्पादन के मानदंडों को भी निर्धारित करना आवश्यक है ताकि कृ-ि जिंसों के आयातक उस मांग के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकें। इसमें अनुरोध किया गया है कि निर्यात को केवल मूल्य नियंत्रण तंत्र के रूप में ही प्रयोग न किया जाऐ बल्कि कृ-ि वृद्धि और अंतर्रा-ट्रीय मांग के अनुसार नियत किया जाऐ।

बाधक नितियों को सुगम करने की आवश्यकता है। इससे किसानों को उपकरणों का चयन और उत्पादन की बिक्री के लिऐ अलग-अलग विकल्प खोजने में सहायता मिलेगी। वास्तव में कृ-ि उत्पादन प्रणाली पर बाजार की मांग और अन्य आवश्यकताओं पर कुछ ही लोगों का कब्जा है इस कारण किसानों के लिऐ यह सुनिशचित किया जाऐ कि वे उपकरणों का चयन उत्तम गुणवत्ता और सस्ते मूल्य पर करने के लिऐ स्वतंत्र हों। बीजों की चैन, उत्पादन से आपूर्ति तक और नई किस्मों को विकसित करने के लिऐ उदारीकरण किया जाऐ, जिसके लिऐ भिन्न एजेंसियों को विभिन्न प्रकार के बीजों का उत्पादन करने की जिम्मेवारी सौंपी जाऐ जो यह सुनिशचित कर सकें की किसानों के लिऐ आवश्यक फसलों के बीजों और किस्मों की सही मात्रा उपलब्ध है।

कृ-ि सहकारिता एवम् किसान कल्याण विभाग विभिन्न राज्य सरकारों की मांगों को ध्यान में रखता है, किंतु राज्य सरकारों को उत्पादन मौसम से लगभग 2 व-र् पहले अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना चाहिऐ और अपनी मांगों को पहले ही विभाग को भेज देना चाहिऐ।

कृ-ि को सुधार की प्रक्रिया के अंतर्गत और इसे एक लाभकारी उद्योग बनाने के लिऐ कई ऐसे उपाय करने होंगे, जिनसे कृ-ि आय में वृद्धि हो, निश्चित समय में कार्यों की निगरानी हो और कृ-ि जिंसों की सारणी इस ढंग से तैयार की जाऐ ताकि मांग को पूरा किया जा सके और किसानों को भी उचित मूल्य मिले ताकि किसान भी उसी के अनुसार उत्पादन और विपणन निर्णय कर सके।